

पंजाब सिविल सेवायें नियमावली, संहिता-11 यात्रा भत्ता नियम-1 भाग-1 के चैप्टर-3 के कं0सं0-1 के अन्तर्गत मुझे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अधिकारी द्वारा कार्यक्षेत्र से बाहर यात्रा करने की संसदीकृति प्रदान करता हूँ:-

अधिकारी का नाम	प्रस्थान तिथि	प्रस्थान	पहुंचने की तिथि	पहुंच	प्रयोजन
डा0 रीगल चौधरी, उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, फरीदाबाद	14.05.2016	फरीदाबाद	14.05.2016	चंडीगढ़	Office Work & Back to Faridabad.
	16.05.2016	फरीदाबाद	16.05.2016	चंडीगढ़	Office work
	16.05.2016 to 21.05.2016 Stay at Chandigarh				
	22.05.2016	चंडीगढ़	22.05.2016	फरीदाबाद	Back to Faridabad

दिनांक: 29.07.2017

पंकज अग्रवाल  
श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृ0 क्रमांक: स्था0/01/2016/ 31090-93

दिनांक: 9/8/16

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

1. डा0 रीगल चौधरी, उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, फरीदाबाद।
2. खजाना अधिकारी, फरीदाबाद।
3. कार्यालय आदेश फाईल।
4. आई.टी.सैल को विभाग की बैवसाईट में अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा0)  
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।